UPBL010031212026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बलिया।

उपस्थितः अनिल कुमार झा, एच.जे.एस.

जमानत प्रार्थना पत्र सं0–1361/2026

विवेक शर्मा पुत्र सतेन्द्र शर्मा, साकिन–टेंगरही, थाना–बैरिया, जिला–बलिया।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

मु0 अ 0 सं0–488/2025

थाना–बैरिया, जनपद–बलिया।

धारा–109(1),191(3),115(2),351(3)बी0 एन 0 एस 0

दिनांक 10.07.2026

1– यह जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, प्रार्थी/अभियुक्त विवेक शर्मा की ओर से मुकदमा अपराध सं0–488/2025, अंतर्गतधारा–109(1), 191(3), 115(2), 351(3) बी0 एन 0 एस 0, थाना–बैरिया, जनपद–बलिया में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से शपथकर्ता सतेन्द्र शर्मा द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है ।

2– प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा केस डायरी का अवलोकन किया।

3– संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार वादी राम लखन वर्मा पुत्र स्व० जगमोहन वर्मा ग्राम व पो०– टंगरही, थाना बैरिया, जिला बलिया का निवासी है । दिनांक 16.12.2025 को सुबह करीब 08.30 पर वादी के बड़े भाई राम प्रकाश मोर्या व छोटे भाई शिवलखन वर्मा को उसके ही गांव के निवासी सतेन्द्र शर्मा, मुन्ना शर्मा, दिनेश शर्मा, रमेश शर्मा, अवनिश शर्मा व विवेक शर्मा अचानक हमला कर दिया। सतेन्द्र शर्मा व रमेश शर्मा सभी लोग उसके भाई को पकड़ लिए तब तक अवनिश शर्मा चाकू से वादी के भाई को मारने लगे जिससे कई जगह चोट लगी है। बहुत शोर शराबा, हल्ला, गुल्ला होने पर आस पड़ोस के लोग जुट गए, लहूलुहान चाकू तथा दिनेश शर्मा हाथ में तमंचा लिए लहराते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से सभी लोग फरार हो गए। वादी के प्रार्थनापत्र पर संबंधित थाना बैरिया में प्रार्थी/अभियुक्त एवं सह अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्त अभियोग पंजीकृत किया गया। आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है।

4– प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष हैं तथा गलत एवं फर्जी तौर पर अभियुक्त बनाया गया है। आवेदक छात्र है। आवेदक का कैरियर बर्बाद करने हेतु अभियुक्त बनाया गया है। आवेदक का कोई विशेष रोल नही दर्शाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 02.07.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर अवमुक्त किया जाए।

5– राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए यह तर्क दिया है कि प्रार्थी/अभियुक्त का अपराध गंभीर प्रकृति का है। उक्त आधारों पर जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

6– पक्षों के तर्को के परिप्रेक्ष्य में केस डायरी का अवलोकन किया। प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों, इस स्तर तक केस डायरी में अंकित साक्षीगण के बयान आदि संकलित साक्ष्य के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ एक राय होकर वादी के बड़े भाई राम प्रकाश मोर्या व छोटे भाई शिवलखन वर्मा को मारा पीटा गया एवं सह अभियुक्तगण सतेन्द्र शर्मा व रमेश शर्मा वादी के भाई को पकड़ लिए एवं अवनिश शर्मा चाकू से वादी के भाई को मारने लगे जिससे उसे कई जगह चोट आयी। उक्त चुटैलों को उनके परिवार के अन्य

Digitally signed by ANIL KUMAR JHA
Date: 2026.07.10 18:59:11 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

सदस्यों द्वारा बचाने का प्रयास किया गया तो उन्हें भी मारपीट कर गम्भीर रूप से घायल कर दिए जाने का अभियोजन कथानक है।

डाक्टरी मुआयना के अनुसार मजरूब शिवलखन वर्मा के शरीर पर निम्न चोटें पाया जाना अभिकथित किया गया है–

1– A lacerated wound of size 5cm x 0.5cm Scalp deep at Lt. Temporal area of Head.

2– An abrasion of size 5cm x 1cm in length over back of Rt. forearm.

डाक्टरी मुआयना के अनुसार मजरूब संदेस मौर्या के शरीर पर निम्न चोटें पाया जाना अभिकथित किया गया है–

1– A lacerated wound of size 3cm x 0.5cm x 0.5cm over Lt. side of parietal of Head.

2– A lacerated wound of size 2cm x 0.5cm x 0.5cm over Lt. side of occipital area of Head.

डाक्टरी मुआयना के अनुसार मजरूब लालबाबू मौर्या के शरीर पर निम्न चोटें पाया जाना अभिकथित किया गया है–

1– A abrasion contused swelling of size 2.5cm in diameter over parietal Head.

2– A contused swelling of size 1cm in diameter over back of Lt. wrist joint area.

मजरुबा गुडिया मोर्या के डाक्टरी मुआयना में उसके पीठ पर खरांश होना पाया गया है ।

दौरान बहस विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौ० ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि मजरुबों को जान से मारने की नियत से बार–बार उनके सिर पर प्रहार किया गया है। जहॉ तक डाक्टर द्वारा उनकी चोटों को प्राण घातक होना आख्यापित नहीं किया गया है, परन्तु उक्त अभियुक्त एवं सह अभियुक्तगण का आशय मजरुबों को जान से मारना था, जिस कारण उनके द्वारा मजरुबों के सिर पर बार–बार प्रहार किया गया है। यह भी तर्क दिया गया कि धारा 109(1) बी०एन०एस० के लिए प्राण–घातक चोट होना आवश्यक नहीं है, जान से मारने की नियत से प्रहार करना आवश्यक है।

मजरुब शिवलखन वर्मा ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 180 बी.एन.एस.एस. में कथन किया है कि "दिनांक 16.12.2025 को सुबह करीब 8.30 बजे मेरे बड़े भाई राम प्रकाश मोर्या व मुझे मेरे ही गांव के निवासी सतेन्द्र शर्मा, मुन्ना शर्मा, दिनेश शर्मा, रमेश शर्मा, सुशील शर्मा, विवेक शर्मा अचानक हम लोगों पर हमला कर दिए, सतेन्द्र शर्मा व रमेश शर्मा सभी लोग मेरे भाई राम प्रकाश मौर्य को पकड़ लिए तब तक सुशील शर्मा उर्फ अवनिश शर्मा चाकू से जान से मारने की नीयत से मेरे भाई रामप्रकाश मौर्य को मारने लगा, जिससे मेरे भाई के पेट के दाहिनी तरफ व बांये तरफ पीठ पर दो जगह गम्भीर जानलेवा चोटे लगी है। बहुत शोर शराबा, हल्ला, गुल्ला होने पर संदेश मौर्य, लालबाबू वर्मा व गुडिया वर्मा छुड़ाने आये तो विपक्षीगण उपरोक्त द्वारा उन लोगों को भी मारा गया है, जिससे उन्हें काफी चोट आयी है। गांव के तमाम आस–पड़ोस के लोग जुट गये तो सुशील शर्मा उर्फ अवनिश शर्मा लहूलुहान चाकू लेकर तथा दिनेश शर्मा हाथ में तमंचा लिए लहराते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से सभी लोग फरार हो गए।" आरोप पत्र संबंधित न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है।

आदेश पत्रक के मार्जिन पर अभिलिखित सत्र लिपिक की आख्यानुसार सह–अभियुक्त रमेश का नियमित जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक 28.01.2026 एवं सह–अभियुक्तगण सत्येन्द्र व मुन्ना का नियमित जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक 11.02.2026 को इस न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है।

प्रार्थी/अभियुक्त पर आरोपित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः इस स्तर पर प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति, मजरूबो की चोटो एवं प्रार्थी/अभियुक्त के अपराधिक कृत्य को दृष्टिगत रखते हुए उसे जमानत पर छोड़े जाने का आधार पर्याप्त नहीं है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त विवेक शर्मा का उपरोक्त जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांकः 10.07.2026

स्टेनो–आर.एस.सेन

(अनिल कुमार झा)
सत्र न्यायाधीश
बलिया
ID No. UP 06529